प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 07.08.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 वाहनों से 1,96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 146 वाहनों से 1,96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए भैंस चोरी के मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 10 हजार रुपये नकद बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0स0 277/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस में वाँछित अभियुक्त सत्येन्द्र यादव उर्फ सिन्टा पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को चोरी की भैंस बेंचने से प्राप्त 10 हजार रुपयों के साथ बस स्टैण्ड, रोडवेज कैण्टीन के पास से गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 09.07.2025 को वादिनी शकीना खातुन पत्नी अली अहमद निवासी चौफेड़ा (बहलोलिया) थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 03.07.2025 को वादिनी की भैंस चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 277/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूर्व में दिनांक 10.07.2025 को मुख्य अभियुक्तराममिलन पुत्र स्व0 जगदीश निषाद निवासी नई बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था।

बरामदगी का विवरणः-

01. कुल 10,000 रु0 नकद।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा लूट/मारपीट व चोरी के मामले में शतप्रतिशत बरामदगी/गिरफ्तारी करते हुए 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल *श्री सतीश कुमार सिंह* के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 07.08.2025 को थाना मेंहदावल पर लूट/मारपीट व चोरी के मामलें में वाँछित शेष 01 अभियुक्त नाम पता मनीष निषाद पुत्र रामकिशोर निवासी सोनबरसा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को सोनवरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त के निशानदेही पर थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2025 से सम्बन्धित 01 अदद सीसीटीवी कैमरा, 02 अदद चार्जर तथा 2000 रु0 नकद बरामद किया गया तथा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0स0 255/2025 से सम्बन्धित 06 अदद साड़ी बरामद किया गया।

दिनांक 23.05.2025 को वादी श्री विजय कुमार चौरसिया पुत्र प्रहलाद चौरसिया निवासी ट्यूवेल कालोनी खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर दिनांक 22.05.2025 को अज्ञात चोर द्वारा नवदरी मेंहदावल में स्थित मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट की दुकान के काउंटर से 80,000 रुपया व सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क, टीवी सेटअप बाक्स, वाईफाई गायब करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 24.06.2025 को वादी श्री रामकेश यादव पुत्र परशुराम यादव निवासी डडिया कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर दिनांक 07.06.2025 को 09 लोगों द्वारा घलनिया पुल के पास मारपीट कर 35 साड़ी छीन लिये, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 255/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/309(4),317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 25.06.2025 को 05 अभियुक्तगण नाम पता 01. सहवाग उर्फ भोलू निषाद पुत्र सरदार निषाद निवासी सई लंगड़ी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।, 02. विकास साहनी उर्फ लक्की पुत्र सुभाग निवासी सोनवरसा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।, 03. शिवा पासवान पुत्र श्रीराम निवासी नौवदरी थाना मेंहदावल संतकबीरनगर।, 04. दिलीप निषाद पुत्र जोखू निषाद निवासी तुलसीपुर थाना मेंहदावल संतकबीरनगर को रोडवेज मेंहदावल तथा 05. करन निषाद पुत्र जिलाजीत निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को चोरी के सामानों व नकद रुपयों के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मनीष निषाद पुत्र रामकिशोर निवासी सोनबरसा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 06 अदद साड़ी
2. 2000 रूपये चोरी से प्राप्त ।

03.01 अदद सीसीटीवी कैमरा व 02 अदद चार्जर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री ददन राय, का0 अभिनन्दन गौड़, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 गोविन्द यादव।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को ***मा0 न्या0 एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त 10 वर्ष कारावास व 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 1467/2017 धारा 363/366/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामसिंगारे यादव पुत्र झकरी यादव निवासी पलहीपार थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अन्तर्गत धारा-363 भादवि में 03 वर्ष की सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास व अन्तर्गत धारा-366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास तथा अन्तर्गत धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास से भुगतना होगा। धारा-376 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम 2012 की सजा समान हैं।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2400 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 02 अभियुक्तों न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1200-1200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 **154/2002** धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-हरिराम पुत्र नन्दलाल 2- श्रीमती चन्दा देवी पत्नी हरिराम निवासीगण जंगल दशहर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत अंतर्गत धारा-323/504 भादवि के मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1200-1200 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।